INVEST UP

POWERING NEW INDIA

Address :

4th Floor Block A PICUP Bhawan,
Lucknow, Uttar Pradesh 226010
Phone No.: +91-522-2720236, 2720238
Email: info[at]investup[dot]org[dot]in
Website - https://invest.up.gov.in/

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उत्तर प्रदेश

UP GLOBAL INVESTORS SUMMIT

10-12 FEBRUARY, 2023

New India's Growth Engine

उत्तर प्रदेश सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम (एमएसएमई) नीति-2022

प्रमुख बिन्दु

पूंजीगत सब्सिडी

- राज्य के बुंदेलखंड एवं पूर्वांचल क्षेत्र में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्रमशः 25%, 20% एवं 15% की पूंजीगत सब्सिडी के लिए पात्र होंगे।
- राज्य के मध्यांचल एवं पश्चिमांचल क्षेत्र में सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्रमशः 20%, 15% एवं 10% की पूंजीगत सब्सिडी के लिए पात्र होंगे।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा महिला उद्यमी अतिरिक्त 2% पूंजी सब्सिडी के लिए पात्र होंगे।
- पूंजीगत सब्सिडी की अधिकतम सीमा ₹4 करोड़/इकाई है।

ब्याज सब्सिडी

- केवल सूक्ष्म इकाइयां ही ब्याज सब्सिडी के लिए पात्र होंगी।
- ₹25 लाख/इकाई की अधिकतम सीमा के अधीन 05 वर्षों के लिए वार्षिक रूप से देय 50% ब्याज सब्सिडी।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति तथा महिला उद्यमियों के लिए ₹25 लाख/इकाई की अधिकतम सीमा के अधीन 05 वर्षों के लिए वार्षिक रूप से देय 60% ब्याज सब्सिडी।

अवस्थापना ब्याज सब्सिडी

- स्वीकृत एमएसएमई औद्योगिक पार्क/एस्टेट/फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स (फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स के लिए न्यूनतम 4,000 वर्ग मीटर का क्षेत्र) 10 एकड़ या उससे अधिक के क्षेत्र वाली परियोजनाएं, 50% तक की वार्षिक
- अवस्थापना ब्याज सब्सिडी के लिए पात्र होंगी, जिसकी अधिकतम वार्षिक सीमा ₹2 करोड़ होगी।
- अवस्थापना ब्याज सब्सिडी 7 वर्ष तक देय होगी।

स्टाम्प ड्यूटी में छूट

- एमएसएमई पूर्वांचल एवं बुंदेलखंड क्षेत्र में 100% स्टांप ड्यूटी छूट के लिए पात्र होंगे तथा गौतम बुद्ध नगर तथा गाजियाबाद को छोड़कर मध्यांचल एवं पश्चिमांचल क्षेत्र में 75% स्टांप ड्यूटी की छूट होगी, जिसमें स्टांप ड्यूटी में 50% छूट होगी।
- राज्य के किसी भी भाग में महिला उद्यमी 100 प्रतिशत स्टांप ड्यूटी छूट की पात्र होंगी।
- एमएसएमई औद्योगिक पार्क/आस्थान/फ्लैटेड फैक्ट्री कॉम्प्लेक्स विकासकर्ताओं को भूमि की खरीद पर स्टांप शुल्क में 100% छूट प्रदान की जाएगी।

एमएसएमई सेक्टर में गुणवत्ता सुधार को प्रोत्साहन

- जेडईडी (ZED), जीएमपी (GMP), हॉलमार्क इत्यादि जैसे गुणवत्ता मानकों को प्राप्त करने के लिए एमएसएमई को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए, प्रतिपूर्ति के रूप में एमएसएमई को 75% तक की वित्तीय सहायता (अधिकतम ₹5 लाख) प्रदान की जाएगी।
- पेटेंट तथा भौगोलिक संकेतक (जीआई) टैग प्राप्त करने के लिए 75% (अधिकतम ₹10 लाख) की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।
- राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट/जीआई टैग प्राप्त करने के लिए क्रमशः ₹50,000 तथा ₹2,00,000 के अटॉर्नी शुल्क की प्रतिपूर्ति की जाएगी।
- ईआरपी सोल्यूशंस (अधिकतम ₹1 लाख) तथा आईसीटी समाधान (अधिकतम ₹5 लाख) लागू करने के लिए 75% की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी।

एमएसएमई सेक्टर में पर्यावरण सुधार हेतु उपायों को प्रोत्साहित करना

- सामान्य/सार्वजनिक उत्प्रवाह उपचार संयंत्र (CETPs) की स्थापना के लिए परियोजना लागत का 50% (अधिकतम ₹10 करोड़) की वित्तीय सहायता।
- जीरो लिक्विड डिस्चार्ज सुविधा को लागू करने के लिए परियोजना लागत का 50% (अधिकतम ₹75 लाख) की वित्तीय सहायता।
- सामान्य/सार्वजनिक सुविधा के रूप में बॉयलर सुविधा स्थापित करने के लिए परियोजना लागत के 50% तक की वित्तीय सहायता (अधिकतम ₹50 लाख) (ऐसी परियोजना प्रारंभ करने हेतु न्यूनतम 10 एमएसएमई की आवश्यकता होगी)
- ऊर्जा तथा जल संरक्षण ऑडिट जैसे एमएसएमई के लिए हरित प्रचलन तथा पर्यावरण ऑडिट को बढ़ावा देना- ऑडिट सेवा शुल्क के लिए 75% (अधिकतम ₹50,000) की प्रतिपूर्ति तथा ऑडिटर द्वारा संस्तुत उपकरण/मशीनरी की खरीद के लिए 50% (अधिकतम ₹20 लाख) की प्रतिपूर्ति।
- औद्योगिक भवनों के लिए ग्रीन रेटिंग प्राप्त करने हेतु व्यय किए गए परामर्श शुल्क के 50% तक (अधिकतम ₹2.5 लाख) की प्रतिपूर्ति।
- पर्यावरण प्रबंधन प्रयोगशाला/पर्यावरण प्रबंधन प्रणाली की स्थापना हेतु किए गए व्यय के 50% तक (अधिकतम ₹10 लाख) की प्रतिपूर्ति।

नोडल एजेंसी : उद्योग निदेशालय, एमएसएमई विभाग